

(आ० २० नियम ६ / जा०पी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
वईजलास श्री श्री. एल. शर्मा (आ००५०एस०)

अनदान प्रकरण

- ① श्री हीरालाल ९० श्री भुवाना भील ② श्री गोपाल ९० श्री भुवाना भील
③ डाकी १० श्री भुवाना भील ④ खणी १० श्री भुवाना भील
⑤ कचन १० श्री भुवाना भील ⑥ श्रीमती ककुमण ७० श्री भुवाना
भील सर्वियान् निवासी - तिरडिया, तहसील - माण्डल

वादी

बनाम

- ① श्री खीसा ९० श्री हेमा भील ② श्रीराम ९० श्री मगना भील ③ श्री जमना ९०
श्री मगना भील ④ जोसर १० श्री मगना भील ⑤ श्रीमती लखु ७० श्री मगना भील
⑥ श्री नारायण ९० श्री सोमा भील ⑦ श्री भैक ९० श्री कृपा भील ⑧ श्री लक्ष्मी ९०
श्री कृपा भील सर्वियान् निवासी - तिरडिया, तहसील - माण्डल
⑨ राजस्थान राज्य जरिह तहसीलदार माण्डल, तहसील - माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा ५३, ५५ - १८६ मुकदमा न० / वर्ष ५/१७ निर्णय दिनांक २३-५-१८

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वल्प अदालत व हिजरी वकाल वाली
मिनजानिव मुददई व श्री भुरलीधर जोरी ~~आ~~ नालाभिव मुदावला पेश होकर हुकम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम तिरडिया
पट्टार हल्का ब्याटरी तहसील मण्डल में स्थित निम्नोक्त आराजिमात का विभाजन
अनुसार वादीगण ऐप प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में एक व हिस्सेनुसार
वादीगण ऐप प्रतिवादीगण के नाम रजि की जावे।

१. श्री हीरालाल, गोपाल, डाकी, खणी, कचन पिता भुवाना, ककुमण पत्नी भुवाना भील

आराजी नं० - $\frac{541}{0.05}$, $\frac{542}{0.14}$, $\frac{546}{0.06}$ कुलडिता ०३ रकबा ०१-०५ बीघा
रकबा

→
P-T-०.

आज तारीख २३-५-१८ को नरे हरदाभर रा न्यायालय की मोहुर पर जारी की
गई।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला - भीलवाड़ा

2. श्री सुरजमल, चीसा पिता हेमा $\frac{1}{5}$, रामा, जगना पिता भगना, जोसार पुजी भगना
 मंडु पत्नी भगना $\frac{1}{10}$, नारायण पिता गोमा $\frac{1}{10}$ अंक, बदरी पिता कपा $\frac{1}{2}$ गीस।

आमं.	$\frac{106}{0.18}$	$\frac{107}{0.15}$	$\frac{108}{0.02}$	$\frac{177}{0.11}$	$\frac{533}{0.01}$	$\frac{534}{0.15}$	$\frac{535}{1.03}$	$\frac{536}{0.12}$
रकबा								
	$\frac{543}{0.03}$	$\frac{544}{0.05}$	$\frac{547}{0.03}$	$\frac{548}{0.04}$	$\frac{549}{0.18}$	$\frac{552}{0.12}$	$\frac{553}{0.14}$	$\frac{554}{0.12}$
	$\frac{555}{0.07}$	$\frac{556}{0.03}$	$\frac{562}{1.05}$	कुलकित-20 रकबा 10.05 बीघा।				

③ शामलती आमं 545 रकबा 0.03 गेठ मुऱ्याह
 उक्तानुसार भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के नाम हक ऐव हिस्से
 अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे।
 शर्चा फरिक्न अपना-अपना वहम करे।


 उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा